प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 02 नवम्बर, 2020

विषय: राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 विकास शर्मा, पायलट (फिक्स्ड विंग) को दिनांक 04 नवम्बर, 2020 से 15 नवम्बर, 2020 (दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को आर0वी0एस0एम0 ट्रेनिंग सम्मिलित करते हुए) (04 दिन यात्रा दिवसों तथा 01 दिन प्रलेखन को सम्मिलित करते हुए) तक मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई में रिकरेन्ट ट्रेनिंग हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-277/ना0उ0नि0/आप्स-19/2016, दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 में किए गए प्रस्तावानुसार कै0 विकास शर्मा को दिनांक दिनांक 06 नवम्बर, 2020 से 13 नवम्बर, 2020 तक राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर रिकरेन्ट ट्रेनिंग दी जानी है। कै0 विकास शर्मा को प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई में अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर प्रशिक्षण दिए जाने की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रश्नगत प्रशिक्षण हेतु मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई को कै0 विकास शर्मा, पायलट (फिक्स्ड विंग) के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 17304.00 यू0एस0 डालर रू0 80/- प्रति डालर की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 13,84,320/- (रूपए तेरह लाख चौरासी हजार तीन सौ बीस मात्र) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 4,01,000/- (रूपए चार लाख एक हजार चार मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 17,85,320/- (रूपए सत्रह लाख पचासी हजार तीन सौ बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दी जानी है। अतः श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2020-21 में कै0 विकास शर्मा को दिनांक 04 नवम्बर, 2020 से 15 नवम्बर, 2020 (दिनांक 13 नवम्बर, 2020 को आर0वी0एस0एम0 ट्रेनिंग सम्मिलित करते हुए) (04 दिन यात्रा दिवसों तथा 01 दिन प्रलेखन को सम्मिलित करते हुए) तक राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0 के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई में रिकरेन्ट ट्रेनिंग कराये जाने की स्वीकृति एवं प्रशिक्षण शुल्क के रूप में 17304.00 यू0एस0 डालर रू0 80/- प्रति डालर की विनिमय दर से जो भारतीय मुद्रा में कुल रू0 13,84,320/- (रूपए तेरह लाख चौरासी हजार तीन सौ बीस मात्र) तथा विदेश यात्रा व्यय (वायुयान किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, दैनिक भत्ता, होटल किराया, लोकल यात्रा भत्ता) हेतु रू0 4,01,000/- (रूपए चार लाख एक हजार चार मात्र) अर्थात् प्रश्नगत प्रशिक्षण के निमित्त होने वाले कुल व्यय रू0 17,85,320/- (रूपए सत्रह लाख पचासी हजार तीन सौ बीस मात्र) के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई की ट्रेनिंग फैसिलिटी को वायर ट्रांसफर के द्वारा अग्रिम भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान करते हैं।

3- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- मेसर्स सी0ए0ई0, दुबई को तत्समय के विनिमय दर से भुगतान करने के पश्चात जो भी धनराशि अवशेष रह जाएगी, उसे मार्जिन मनी एकाउन्ट में जमा कर दिया जाय। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि में से नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि के भुगतान तत्समय के दर से करने के पश्चात यदि धनराशि अवशेष बच जाती है तो उसे तत्काल राजकीय कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

7- पायलटों को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधाएँ अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जायेगी|

8- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है|

9- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

10- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा| वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

11- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

12- निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

13- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

14- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

15- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

16- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या :ई-7-1035/दस-2020 दिनांक 02 नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

17- उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

संख्या-73/2020/1937(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।

7- सम्बन्धित पायलट।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।